उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 2/2017/सीपी 702/84-2-2016-सीपी 6/2014
लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 श्री तहर वर्मा, जिला जज (सेवानिवृत्त) द्वारा श्री एस0पी0 पाण्डेय, मकान संख्या-284/165, चित्ता खेड़ा, ऐशबाग, लखनऊ-226004 की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01 जून, 2015 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-6692/ एससीडीआरसी/अधि 32/15, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 में अवगत कराया गया कि श्री राम प्रकाश वर्मा की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2016 द्वारा जनपद न्यायालय, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी के पद पर हो जाने के कारण उनके द्वारा जिला फोरम, गाजीपुर के अध्यक्ष के पद से दिनांक 17.11.2016 के अपरान्ह से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निबंधक, राज्य आयोग ने श्री राम प्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर का त्यागपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3. अतः श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 श्री तहर वर्मा, जिला जज (सेवानिवृत्त) द्वारा श्री एस0पी0 पाण्डेय, मकान संख्या-284/165, चित्ता खेड़ा, ऐशबाग, लखनऊ-226004 द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, गाजीपुर ।
(3) कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, गाजीपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 श्री तहर वर्मा, जिला जज (सेवानिवृत्त) द्वारा श्री एस0पी0 पाण्डेय, मकान संख्या-284/165, चित्ता खेड़ा, ऐशबाग, लखनऊ-226004
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in